सूचना प्रौद्योगिकी नीति–उ0प्र0 2012

Confidential

अनुक्रमणिका

1		आमुख (Preamble)	4
2		परिकल्पना, लक्ष्य एवॅ उद्देश्य	6
	2.1	परिकल्पना (Vision)	6
	2.2	लक्ष्य (Mission)	6
	2.3	उद्देश्य (Objectives)	6
3		रणनीतिक प्रतिबल (Strategic Thrust)	7
4		कार्य योजना रणनीति (Implementation Strategy)	9
	4.1	आर्थिक परिवर्तन (Economic Transformation)	9
	4.1.1	व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण (Conducive environment of business)	9
	4.1.2	सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP)	9
	4.1.3	एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance)	9
	4.2	जन जुड़ाव एवं जन सशक्तीकरण (People Engagement and Empowerment)	10
	4.2.1	ई–सेवाओं की विषय–वस्तु और उनकी प्रायोगिक प्रकिया को सुगम एवं निर्बाध बनाना (Ensure affordable and seamless e-services content and applications)	10
	4.2.2	सरकारी सूचनाओं का कम्प्यूटरीकरण (digitization)	10
	4.2.3	हिन्दी एवं उर्दू का प्रयोग	10
	4.2.4	'साइबर सुरक्षा' (cyber security)	10
	4.3	अभिनव प्रयोग (Innovation)	11
	4.3.1	सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में नवीन प्रयोगों, शोध एवं विकास हेतु उत्कर्ष केन्द्रों का सृजन (Create Centres of Excellence for Innovation and R&D of IT Services)	11
	4.3.2	बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights)	11
	4.3.3	शासकीय प्रक्रियाओं का पुनर्निमाण (Government Process Reengineering)	11
	4.3.4	नव प्रौद्योगिकी स्वीकृति (Adopting new technologies)	11
	4.4	अवस्थापना विकास (Infrastructure Development)	12
	4.4.1	सू0प्रौ0 नगर (IT Cities) एवॅ सू0प्रौ0 पार्कों (IT Parks) को प्रोत्साहन	12
	4.4.2	सूचना प्रौद्योगिकी समग्र निधि (IT Corpus) की स्थापना	13
	4.4.3	केन्द्रीय डेटा कोष (Central Data Repository)	14
	4.4.4	''यूपीस्वान'' (UPSWAN)	14
	4.4.5	यूसाफ (USOF)	14
	4.5	मानव पूँजी का विकास (Human Capital Development)	15
	4.5.1	क्षमता निर्माण (Capacity Building)	15
	4.5.2	कौशल का उच्चीकरण एवं प्रमाणीकरण (Skills upgradation & Certification)	15
	4.6	अंकीय विभेद सेतुबन्ध (Bridging the Digital Divide)	16
	4.6.1	सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा क्षेत्र में सहयोग सुगम करना (Facilitate collaboration between IT and education sector)	16
	4.6.2	शासकीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (IT Literacy in Government)	17
	4.6.3	स्मार्ट कार्ड	
	4.7	नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit)	17
5		प्रोत्साहन (Incentives)	19
	5.1	वित्तीय प्रोत्साहन (Fiscal Incentives)	19
	5.1.1	ब्याज उपादान (Interest Subsidy)	19
	5.1.2	स्टैम्प शुल्क (Stamp Duty)	19

Confidential

	5.1.3	वैट (वाणिज्य कर)	19
5.2		अन्य प्रोत्साहन (other Incentives)	19
	5.2.1	भूमि हेतु प्राविधान (Provision for land)	19
	5.2.2	एकल खिड़की निस्तारण सहायता (Single Window Clearance & Facilitation)	20
	5.2.3	औद्योगिक विकास उपादान (Industrial Promotion Subsidy)	20
	5.2.4	निर्बाध बिजली आपूर्ति (Un-interrupted Power Supply)	20
	5.2.5	संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लाण्ट और मशीनें (Plant & Machinery for Captive Power Generation)	20
	5.2.6	रोजगार सृजन (Employment Generation)	21
	5.2.7	प्रकरण आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case Basis)	21
	5.2.8	24 x 7 परिचालन (24 x 7 Operations)	21
6		विपणन एवं ब्रॉण्डिंग रणनीति (Marketing & Branding Strategy)	21
7		संलग्नक (Annexures)	22
7.1		सशक्त समिति (Empowered Committee)	22
8		शब्दावली (Glossary)	23

Confidential

1 आमुख

सूचना प्रौद्योगिकी (सू0प्रौ0) सॉफ्टवेयर एवं तत्सम्बन्धी सेवाओं के निर्यात के क्षेत्र में पिछले दशक में भारत की सफलता को विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है। आज विदेशों में सूचना प्रौद्योगिकी के विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत है और सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं (ITeS) के क्षेत्र में भारत की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में विकास के फलस्वरूप देश में पूँजी सृजन एवं उच्च स्तरीय रोजगार सृजन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग, भारत की आर्थिक प्रगति को वेग प्रदान करने वाले कारकों में से प्रमुख है। राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जी0डी0पी0) के अनुपात में इस क्षेत्र का योगदान 1997–1998 के 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2011–2012 में 7.5 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। NASSCOM के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र द्वारा (हार्डवेयर को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2011–12 में राजस्व के रूप में 87.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति का अनुमान है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा उद्योग के विकास की दर 2012–13 में 19 प्रतिशत होने का अनुमान है।

हाल के एक अध्ययन के अनुसार घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा बाजार CAGR (Cumulative Annual Growth Rate) 21.1प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 2014 तक रू 98,188 करोड़ के स्तर को स्पर्श करेगी। अकेली सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की वृद्धि ही 2010–14 की अवधि में 16.7 प्रतिशत CAGR हो रही है जबकि इसी अवधि में घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं में व्यय की वृद्धि 30.20 प्रतिशत की दर से CAGR होंगी।

राज्य सरकार की आकॉक्षा सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी जनित उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहित करने एवॅ सूचना प्रौद्योगिकी तथा सम्बन्धित क्षेत्रों में निपुण युवाओं की योग्यता में वृद्धिकर उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है ताकि उत्तर प्रदेश के नागरिक विकास का समुचित लाभ उठा सकें।

रोजगार सृजन की गति को दृष्टिगत रखते हुए, लखनऊ भारत के 10 शीर्ष नगरों में है। विज्ञान–नगरी तथा राष्ट्रीय स्तर की अनेक प्रयोगशालाओं, ख्याति प्राप्त मेडिकल कालेजों और विश्वविद्यालयों के साथ इन्जीनियरिंग तथा प्रबन्धन संस्थानों का स्थल होने के नाते भी इसकी ख्याति है। सम्प्रति अग्रणी औद्योगिक घरानों के दृष्टि में आगरा भी पसंदीदा निवेश–स्थल के रूप में उभर रहा है। अपनी विश्वस्तरीय अवस्थापना सुविधाओं (Infrastructure facilities) तथा सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख केन्द्रों यथा नोयडा एवॅ गुड़गॉव से निकटता के साथ आगरा की पहचान प्रमुख पर्यटक गन्तव्य (tourist destination) के रूप में रही है।

भारत के आर्थिक रूप से एक सर्वाधिक विकसित राज्य के रूप में उभरने के लिए उत्तर प्रदेश अपार क्षमताओं से समृद्ध है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का ध्यान आवश्यक अवस्थापना सुविधा, मानव–पूँजी विकास, निवेशकों के साथ सक्रिय सहयोग तथा प्रभावी नीति कार्यान्वयन पर केन्द्रित है ताकि सूचना प्रौद्योगिकी के लिये एक लाभदायी वातावरण निर्मित हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार ज्ञान–आधारित उद्योगों (knowledge based industries) में निजी निवेश को प्रोत्साहित एवं आमंत्रित कर रही है। अनेक तकनीकी एवं मानव–शक्ति उत्कृष्टता केन्द्रों (manpower centres of excellence) की उपलब्धता, राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों की स्थापना हेतु एक आदर्श स्थल बनाती हैं।
राज्य में कुशल मानव–शक्ति का एक बड़ा आधार है जहॉ 700 व्यवसायिक संस्थानों में से आधे में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की इन्जीनियरिंग और प्रबन्धन की पढ़ाई होती है जिससे योग्यता आधारित उद्यमों (knowledge based sectors) के लिए उत्तर प्रदेश एक आदर्श स्थल बन गया है। भारत के दूसरे विकसित राज्यों की तुलना में बहुत ही कम लागत में कुशल मानव–शक्ति तथा अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के लिए उत्तर प्रदेश एक चुनौती बन सकता है। भारत सरकार की निर्यात प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC) द्वारा गौतमबुद्ध नगर में 200 एकड़ तथा आगरा में 100 एकड़ भू–क्षेत्र में दो निर्यात पार्कों (EPIP) को विकसित किया गया है जहॉ सीमेन्ट कॉक्रीट की सड़के,

Confidential

एकीकृत सुरक्षा व्यवस्था एवं अर्थ–स्टेशन सहित, उच्च स्तर की अवस्थापना सुविधायें प्रदान की गई हैं।

नीति के निर्गत किये जाने का उद्देश्य यह है कि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी को जीवित रखने और उसके विकास हेतु अनुकूल व्यवसायिक वातावरण प्रदान कर तथा नीतिगत उपायों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए एक आकर्षक गन्तव्य (attractive destination) के रूप में उत्तर प्रदेश की स्थिति को सुदृढ़ किया जाये। राज्य की आकॉक्षा है कि सोपान–दो (Tier II) के नगरों जैसे लखनऊ एवं आगरा को अगली पीढ़ी के सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रों के रूप में विकसित करते हुए उत्तर प्रदेश और इसकी जनता के सर्वांगीण विकास के मार्ग को प्रशस्त किया जाये।

Confidential

2, परिकल्पना, लक्ष्य एवं उद्देश्य

2.1 परिकल्पना (Vision)

उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास करते हुए उच्च जीवन–स्तर वाले (High Quality of Life) स्पंदनशील समाज (Vibrant Society) का निर्माण।

2.2 लक्ष्य (Mission)

उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है :–

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा के क्षेत्र में निवेश हेतु, उत्तर प्रदेश को भारत के उच्च वरीयता वाले (preferred destination) राज्य के रूप में स्थापित करना
- उत्तर प्रदेश के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की उपादेयता को उत्तोलक (to leverage IT) के रूप में अभिप्रेरित करना
- समुदायवाद के घटकों को एकता के सूत्र में पिरोते हुए प्रदेश में ऐसे सुसम्बद्ध समाज (connected communities) का निर्माण करना जहॉ पर सुदृढ़ आर्थिक विकास (sustainable economic growth) और उत्कृष्ट जीवन (enhance the quality of life) के लक्ष्य पूर्ण हो सकें।

2.3 उद्देश्य (Objectives)

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा क्षेत्र की कम्पनियों हेतु उत्तर प्रदेश को निवेश की दृष्टि से एक आकर्षक स्थल (attractive investment destination) बनाना जहॉ एक सौहार्द्रपूर्ण तथा उद्योग मित्रवत् वातावरण उपलब्ध हो।
- अन्य प्रमुख नगरों/कस्बों को भी द्वितीय एवं तृतीय स्तर (Tier II and Tier III) पर उभरते हुए सूचना प्रौद्योगिकी स्थल के रूप में विकसित करना तथा राज्य में आधुनिकतम सूचना प्रौद्योगिकी नगरों (IT Cities) एवं सूचना प्रौद्योगिकी पार्को (IT Parks) की स्थापना में सहायक बनना
- इन निवेश केन्द्रों को उत्तर प्रदेश में Intelligent (बौद्धिक) एवॅ SMART Cities के रूप में विकसित कर इनमें सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं (सार्वजनिक तथा निजी) का एक Portfolio बनाना जिससे निवेश क्षेत्र Intelligent एवॅ SMART क्षेत्र बन सके।
- विश्वस्तरीय ICT (Information & Communication Technology) अवस्थापना सुविधाओं का विकास ताकि व्यापार एवं उपभोक्ताओं को निरन्तर सम्बद्ध करने का आधार मिल सके और ICT ऑपरेटरों, सेवा प्रदाताओं, सरकार, नियामकों तथा उपभोक्ताओं को लेकर गठित एक स्वस्थ परिस्थिकीय (vibrant ecosystem) व्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें भी सुलभ हों।
- सभी क्षेत्रों से समस्त वर्गो के शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन और राज्य के सामाजिक–आर्थिक विकास हेतु सूचना प्रौद्योगिकी को विकास का साधन बनाना
- उत्तर प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0–GSDP) में वृद्धि

Confidential

3. रणनीतिक प्रतिबल (Strategic Thrust)

छः रणनीति प्रभाव क्षेत्रों के अन्तर्गत – त्रय आधार (three foundations) समर्थित त्रय स्तम्भ(three pillars)। इन सभी छः मोर्चों द्वारा अपेक्षित उद्देश्यों की पूर्ति की जायेगी।

आर्थिक काया–कल्प **Economic Transformation**	• सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे व्यापार, निवेश एवं उद्यमशीलता को आकर्षित एवं प्रोन्नत करने के लिए राज्य सरकार एक उपयुक्त वातावरण का निर्माण करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी ही अन्य आर्थिक क्षेत्रों में भी अपेक्षित बदलाव का प्रमुख कारक बनेगी।
जन जुड़ाव एवं सशक्तीकरण **People Engagement & Empowerment**	• सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को जन सुलभ बनाते हुए उत्कृष्ट स्तर के जीवन को प्रोत्साहित करना
नव प्रयोग **Innovation**	• राज्य सरकार एक रचनात्मक, नव सृजनोन्मुखी एवं पर्यावरण के अनुकूल (Green) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सेवा क्षेत्र विकसित करेगी।
अवस्थापना– विकास **Infrastructure Development**	• राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित अवस्थापना के विकास को प्रोत्साहित करेगी ताकि उ०प्र० में समाज के प्रत्येक वर्ग को सूचना प्रौद्योगिकी की सेवायें उपलब्ध हो सकें।
मानव पूँजी विकास **Human Capital Development**	• राज्य सरकार सक्षम एवं कुशल मानव पूँजी (Skilled Human Capital) के विकास में सहायक बनेगी ताकि सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार की सम्भावनायें बढ़ने के साथ अर्थ–व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी अपेक्षित बदलाव आये।
अंकीय विभेद सेतुबन्ध **Bridging the digital divide**	• राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विकास के विभिन्न स्तरों का संज्ञान लेते हुए उन्हें अमल में लाया जायेगा। सूचना प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उददेश्य से जन–सामान्य में कम्प्यूटर ज्ञान बढ़ाया जायेगा ताकि अंकीय विभेद (digital divide) के सेतुबन्ध (bridging) से सूचना प्रौद्योगिकी को जन स्वीकृति व प्रोत्साहन प्राप्त हो सकें।

Confidential

परिकल्पना (Vision) : ;उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आर्थिक विकास करते हुए उच्च जीवन–स्तर (high quality of life) वाले स्पंदनशील समाज (Vibrant Society) का निर्माण

स्तम्भ (Pillars)

आर्थिक परिवर्तन (Economic Transformation)

सू0प्रौ0 के क्षेत्र में व्यापार, निवेश तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा सू0प्रौ0 का अन्य क्षेत्रों में अपेक्षित बदलाव के लिए वाहन के रूप में उपयोग

जन–विनियोजन एवं जन सशक्तीकरण (People Engagement and Empowerment)

सुलभ (affordable) साम्यक (equitable) सू0प्रौ0 के माध्यम से उत्कृष्ट स्तर के जीवन को प्रोत्साहित करना

नव प्रयोग (Innovation)

एक रचनात्मक (creative) सृजनात्मक (innovative) एवं पर्यावरण के अनुरूप (Green) सू0प्रौ0 क्षेत्र का विकास (Nurture)

आधार (Foundation)

अवस्थापना विकास (Infrastructure Development)

– भावी पीढ़ी को सुदृढ़ संसाधन एवं उपयुक्त नीति उपलब्ध कराना (to provide next generation infrastructure backbone and enabling policies)

मानव पूँजी विकास (Human Capital Development)

– कुशल कर्मियों (Skilled workforce) एवं सुविज्ञ समुदाय (knowledgeable communities) का विकास

अंकीय विभेद हेतु सेतुबन्ध (Bridging the digital divide)

– सू0प्रौ0 क्षमता (IT Capabilities) के माध्यम से राज्य एवं जन–सामान्य का स्तरोन्नयन (elevate).

प्रमुख निष्कर्ष (Key Outcome)

–उ0प्र0 के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी की उत्प्रेरक क्षमता (engine of growth)

–उत्तर प्रदेश को भारतवर्ष के सर्वाधिक आकर्षक सू0प्रौ0 गन्तव्य स्थल (preferred IT destination) के रूप में मान्यता

–उत्तर प्रदेश के जन–सामान्य जीवन स्तर में सुधार (enhance quality of life)

Confidential

4. कार्य योजना रणनीति (Implementation Strategy)

4.1 आर्थिक परिवर्तन (Economic Transformation)

आर्थिक परिर्वतन का केन्द्र बिन्दु है एक ऐसे अनुकूल वातावरण का सृजन (creation of Conducive Business Environment) जिससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रति व्यापार आकर्षित हो, उसे प्रोत्साहन मिले, निवेश हो और उद्यमशीलता (entrepreneurship) बढ़े। इसका उद्देश्य यह भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाकर एक ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी ऊर्जा का निर्माण किया जाय जिससे राज्य की व्यापक अर्थ–व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में भी अपेक्षित परिर्वतन आ सके।

4.1.1 व्यापार के लिए उपयुक्त वातावरण (Conducive environment for business)

- उत्तर प्रदेश सरकार व्यवसायी समुदाय (business community), सू0प्रौ0/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योग से जुड़ी फर्मो, उद्यमियों (entrepreneurs) को उत्तर प्रदेश में व्यवसाय करने एवँ पूँजी निवेश करने में सहायता करेगी।
- मौजूदा शुरुआती कदमों का लाभ उठा कर (leverage the existing initiatives) विषय–वस्तु के विकास (development of content) एवं उसके अनुप्रयोग का पोषण (nurture) ताकि सूचना विनिमय (Information exchange) और ऑकड़ों तक पहुँच सुगम (facilitate) हो सके एवं नियामक प्रणालियॉ और सूचना प्रौद्योगिकी मानकों में समता लाई जा सके (harmonize regulatory practices and IT standards)।

4.1.2 सार्वजनिक–निजी भागीदारी (PPP)

- राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए पी0पी0पी0 के विभिन्न प्रतिरूपों (models) का लाभ उठायेगी – जैसे BOT (Built-Operate-Transfer) यानी बनाओ, चलाओं और हस्तान्तरित कर दो, अथवा BOO (Built-Own-Operate) अर्थात बनाओ, मालिक रहो और चलाओ या फिर BOOT (Built-Own-Operate-Transfer) यानी बनाओ, मालिक रहो, चलाओ और बाद में हस्तान्तरित कर दो – इस प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा परियोजनाओं की स्थापना के प्रारम्भिक जोखिमों (initial risks) को न्यूनतम बनाकर आगे इन योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करते हुए दक्षता में वृद्धि के साथ राज्य एवं निजी क्षेत्रों के संसाधनों का इष्टम उपयोग (optimal utilization of resources) भी किया जा सकेगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं हेतु सहायक अवस्थापना (supporting infrastructure) के विकास का भी लक्ष्य है। सरकार पी0पी0पी0 परियोजनाओं में निवेश को प्रोत्साहित करेगी ताकि विश्वस्तरीय विद्यालय (world class schools), अस्पताल एवं अन्य सुविधायें निर्मित हो सकें जो सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करने के प्रयासों में पूरक (complement) का कार्य करेंगे।

4.1.3 एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance)

- सांविधिक मामलों (statutory matters) के कुशल (efficient) एवं सुगम (smooth) निस्तारण हेतु एक सरकारी अभिकरण (Government agency) । अभिकरण का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि समय–बद्ध ढॅग (time bound manner) से अवरोधों (road blocks) को दूर करे।

Confidential

4.2 **जन जुड़ाव एवं जन सशक्तीकरण** (People Enegagement and Empowerment)

सूचना प्रौद्योगिकी को जन सुलभ (affordable) बनाकर, सरकार राज्य की समस्त जनता की जीवन शैली (quality of life) को ऊपर उठाने पर ध्यान देगी। निम्न रहन–सहन वाले इलाकों (areas with low standard of life) के लिये यह नीति विशेष रूप से सार्थक सिद्ध होगी।

4.2.1 ई–सेवाओं की विषय–वस्तु (content) और उनकी प्रायोगिक प्रक्रिया (applications) को (जनसाधारण के लिए) सुगम (affordable) एवं निर्बाध (seamless) बनाना

- राज्य सरकार प्रासंगिक (relevant) ई–सेवाओं को विकास हेतु चिन्हित करेगी।
- एक ऐसे वातावरण का पोषण करेगी जिसमें ई–सेवाओं को जन–सुलभ बनाया जा सके।
- ऐसी ई–सेवाओं को प्रोत्साहन देगी जिन्हें स्थानीय स्तर पर (local usage) अमल (adopted) में लाया जा सके।
- सामान्य सेवा केन्द्रों (Common Service Centres) तथा ई–सुविधा केन्द्रों के माध्यम से ई–सेवायें उपलब्ध कराने का प्राविधान किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं जैसेकि ई–डिस्ट्रिक्ट, CCTNS (अपराध तथा अपराधियों की सुराग तंत्र–व्यवस्था –Criminal Tracking Network & Systems) तथा पॅचायती राज, वाणिज्य कर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवॅ अन्य विभागों की परियोजना के समयबद्ध कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

4.2.2 सरकारी सूचनाओं (Government Information) का कम्प्यूटरीकरण (digitization)

- जन–सामान्य सम्बन्धी समस्त सूचनायें जैसे सरकारी गजट अधिसूचना, शासनादेश, अधिनियम, नियम, विनियम, परिपत्र, नीति एवं कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेजो को कम्प्यूटरीकृत (digitize) कर, चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके (phased & time bound manner) से उन्हें 'वेब' (Web) पर इलेक्ट्रानिक विधि (electronic access) से उपलब्ध कराना

4.2.3 हिन्दी एवं उर्दू का प्रयोग

- राज्य सरकार ॲग्रेजी के साथ सूचना प्रौद्योगिकी में हिन्दी एवं उर्दू के प्रयोग को प्रोत्साहन देगी ताकि सूचना प्रौद्योगिकी की पहुॅच जन–सामान्य तक हो सके। इस हेतु देवनागरी/उर्दू को कम्प्यूटर में प्रयोग तथा वेब के विकास (developing web applications) के लिए विशेष प्रारम्भिक कदम (specific initiative) उठाये जायेंगे।

4.2.4 'साइबर' सुरक्षा

- गोपनीयता (confidentiality), सत्यनिष्ठा (Integrity), आंकड़ों की सुरक्षा (data security) तथा समझौतों के अप्रकटीकरण (non-disclosure of agreements) से जुड़े अपराधों पर कानून के अनुसार विचार किया जायेगा और उनकी संवीक्षा की जायेगी।
- उत्तर प्रदेश सरकार 'आन–लाइन' सुरक्षा पर जागरूकता फैलायेगी।

Confidential

- उत्तर प्रदेश सरकार साइबर अपराधों के प्रति जागरूकता हेतु उद्योगों एवं अन्य समान–हित वाले समुदायों (stake holders) से मिल कर संयुक्त रूप (joint collaboration) से एक व्यापक अभियान (outreach campaign) चलायेगी।

4.3 अभिनव प्रयोग (Innovation)

4.3.1 सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में नवीन प्रयोगों, शोध एवं विकास हेतु उत्कर्ष के केन्द्रों का सृजन (Create Centres of Excellence for Innovation and R&D of IT Services)

- उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में अनुसंधान एवं विकास (R&D), नव–प्रयोगों (innovations) को बढ़ावा देकर प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों अथवा आईआईएम, लखनऊ, आईआईटी कानपुर, आईआईआईटी इलाहाबाद, आईटी – बीएचयू एवं अन्य प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थाओं के पारस्परिक सहयोग से तकनीकी में नवप्रयोग एवं हस्तान्तरण हेतु उत्कर्ष के केन्द्रों (Centre of Excellence) की स्थापना को प्रोत्साहित किया जायेगा। आईटी विशेषज्ञों के बीच विचारों के आदान–प्रदान तथा व्यापक सहयोग को सुगम बनाने हेतु (facilitate the exchange of ideas and greater collaboration) सरकार द्वारा उत्कर्ष के केन्द्रों को संयोजित (connect) किया जायेगा

4.3.2 बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (Intellectual Property Rights)

- उत्तर प्रदेश सरकार अभिनव प्रयोगों को प्रश्रय देने के उद्देश्य से सर्वोत्कृष्ट प्रक्रियाओं/प्रथाओं, दिशा–निर्देशों (guidelines) एवं मानकों के अनुकूल सम्पूर्ण प्रदेश में बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार को (Intellectual Property Rights) क्रियान्वित करने हेतु प्रतिबद्ध रहेगी। अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित किया जायेगा एवं साथ ही सू0प्रौ0 विशेषज्ञों के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा।

4.3.3 शासकीय प्रक्रियाओं का पुनर्निमाण(Government Process Reengineering)

- इस नीति का उद्देश्य शासकीय मानकों/प्रक्रियाओं का पुनर्मूल्यांकन करना है ताकि शासन रूढ़िगत मार्ग से हटकर नवीन लक्ष्यों की उपलब्धि हेतु सक्षम हो सके। शासकीय प्रक्रियाओं के पुनर्निमाण को महत्व प्रदान करने के उद्देश्य से प्रबन्ध में परिवर्तन (change management) के माध्यम से जीटूसी (G2C) सेवायें अर्थात् शासनतंत्र को नागरिक उपादेयता के दृष्टिकोण से (citizen centric) प्रभावोत्पादक रूप में परिचालित किया जाना होगा।
- शासकीय प्रक्रियाओं में बॉयो–मैट्रिक डिवाइसेज के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

4.3.4 नव प्रौद्योगिकी स्वीकृति (Adopting new technologies)

- सरकार की नवीन वायरलेस प्रौद्योगिकी एवं नयी पीढ़ी के संचार तन्त्र (new generation network) यथा 4जी (चौथी पीढ़ी) BWA (Broad Band Wireless Access), Near Field Communication, Long Time Evolution इत्यादि का उपयोग करके नागरिकों को सर्वव्यापी पहुँच हेतु सक्षम बनाते हुए (अर्थात् नागरिकों के सूचना आदान–प्रदान ज्ञान को सर्वव्यापी करने हेतु) नयी पीढ़ी की उत्कृष्ट मोबाइल सेवायें प्रदान करने की योजना है।
- विकसित हो रही प्रौद्योगिकी यथा मोबाइल प्रौद्योगिकी, Localization, Virtualization एवँ Cloud Computing ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना

Confidential

प्रौद्योगिकी सेवा उद्योगों को मूल्य संरचना में भागीदारी का महत्वपूर्ण अवसर दिया है तथा घरेलू परिवर्तन को भी उत्प्रेरित किया है।

4.4 अवस्थापना विकास (Infrastructure Development)

4.4.1 सू0प्रौ0 नगर (IT Cities) एवं सू0प्रौ0 पार्कों (IT Parks) को प्रोत्साहन

- देश के द्वितीय और तृतीय सोपान (Tier II & III) के नगरों के समकक्ष विश्वस्तरीय नागरिक अवस्थापना सुविधाओं जैसेकि सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्रो, नगरों के मध्य सड़कों, हवाई अड्डों तथा परिवहन तंत्र के निर्माण एवं विकास पर अविकल रूप (continuous basis) से विशेष बल दिया जायेगा, जोकि सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है।
- आईटी हब बैंगलोर, पुणे एवॅ चेन्नई जैसे नगर हैं जोकि प्रमुख सू0प्रौ0 कम्पनियों के पसन्दीदा सू0प्रौ0 गन्तव्य (preferred IT destination) हैं। अनुकूल निवेश वातावरण (favourable invesement climate), प्रतिभावान सू0प्रौ0–पूल (IT Pool), मुख्य नगरों से कनेक्टिविटी, उत्कृष्ट अवस्थापना (top class infrastructure) इत्यादि इन नगरों के आईटी हब्स के रूप में उभरने के कुछ प्रमुख कारक हैं। इन आईटी हब्स में कई आईटी सिटी एवं आईटी पार्क्स समाविष्ट होते हैं। सॉफ्टवेयर विकास, वेबसाइट विकास, वेब एप्लीकेशन विकास, उत्पाद विकास, हार्डवेयर, अनुसंधान एवं विकास इत्यादि से सम्बन्धित कम्पनियों इन आईटी हब्स में स्थापित होती है।
- सू0प्रौ0 नगर के सृजन हेतु 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी जिसमें प्रक्रिया–परिचालन (processing) एवॅ प्रक्रिया–रहित (non-processing) क्षेत्रों को लगभग 60:40 के अनुपात में उपयोग किया जायेगा। सू0प्रौ0 नगर एक स्वावलम्बी उपग्रह नगर होगे। प्रक्रिया परिचालन क्षेत्र में सू0प्रौ0 इकाइयों यथा सू0प्रौ0 कम्पनी, बी.पी.ओ., के0पी0ओ0 आदि स्थित रहेंगे तथा प्रक्रिया रहित क्षेत्र में आवासीय सुविधायें, जन–उपयोगिता कार्यालय/सुविधा केन्द्र/व्यवसायिक क्षेत्र, शिक्षा एवं स्वास्थ्य–रक्षा एवं खुले–स्थान की उपलब्धता रहेगी। ये सू0प्रौ0 नगर ''फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी'' वाले अत्याधुनिक टेलीफोन एक्सचेन्ज से युक्त होते हैं तथा, आई.एस.पी. सुविधाओं, वृहद बैण्डविड्थ तथा वाई–फाई कनेक्टिविटी (Wi-Fi Connectivity) के लिए दूरसंचार कम्पनियों के साथ सामरिक गठजोड़ (strategic alliance) की आवश्यकता होती है। प्रतिष्ठानों की संचार–व्यवस्था हेतु समर्पित भू–केन्द्र (dedicated earth stations) होते हैं जो वायस–डाटा, वीडियो कान्फ्रेंसिंग एवॅ विश्व भर में फैले ग्राहकों से सम्बद्धता के लिए उपग्रहीय तथा पार्थिव सम्पर्क (satellite & terrestrial links) उपलब्ध कराते हैं। एक सू0प्रौ0 नगर में अत्याधुनिक (state-of-art) सुविधायें उपलब्ध होती है।
- सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों का निर्माण न्यूनतम 15000 वर्ग मीटर फर्शी क्षेत्रफल (floor area) में होता है। इन पार्कों के परिसर में जनसुविधा कार्यालयों/ सुविधा केन्द्रों को सम्मिलित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। सूचना प्रौद्योगिकी गतिविधियों को आबंटित किया जाने वाला (allotted) क्षेत्र, आबंटन योग्य (allocable) क्षेत्रफल का 75प्रतिशत होगा।

Confidential

आईटी पार्क में अधिकॉश तकनीकी अवस्थापना सुविधायें आइटी सिटी के समान होती हैं जैसेकि ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी, वाई–फाई सम्पर्क, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा इत्यादि। आईटी पार्क, आईटी सिटी का ही लघु स्वरूप है, जिसका अधिकांश भाग आईटी गतिविधियों के लिए निर्दिष्ट होता है।

- प्रथम चरण में लखनऊ एवं आगरा में सूचना प्रौद्योगिकी नगर बनाये जायेंगे जहॉ सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं के विकास की विशेष सुविधायें उपलब्ध होंगी। इन दोनों नगरों में सू0प्रौ0 नगर के रूप में भूमि चिन्हांकित की जायेगी। सू0प्रौ0 नगरों का विकास सार्वजनिक–निजी–भागीदारी (PPP) माडल पर किया जायेगा।
- इन सुविधाओं के विकास के साथ ही ज्ञान–भण्डार (knowledge clusters), जन–प्रेरित नवप्रयोग (people led innovation), वैश्विक संचार–तत्र (global networking) के फलस्वरूप नवाचार (innovative) एवं प्रतियोगी शैली (competitive centres) के नगरों का सृजन होगा, (जहॉ पर) पर्यावरण सम्बन्धी विषयों के पर्यवेक्षण एवं प्रबन्धन की उत्कृष्ट क्षमता उपलब्ध होगी, उत्कृष्ट कोटि की नगरीय परिवहन एवं सुरक्षित नगरीय स्थल भी उपलब्ध होंगे।
- सू0प्रौ0 नगर स्वावलम्बी उपग्रह नगर होंगे जिनमें समस्त आवश्यकीय सेवाओं सहित आवसीय सुविधायें होंगी। कर्मीगणों की नगरीय एवं व्यवसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु–जलापूर्ति, विद्युत, नगरीय सुविधायें, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन एवं मनोरंजन आदि की व्यवस्था होगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों के लिए निर्मित क्षेत्र (जिनमें संचार/इंटरनेट प्रणाली सहित सभी आवश्यक भौतिक सुविधायें जैसे एयर–कन्डीशनिंग इकाइयॉ, डीजल सेट, यूपीएस आदि उपलब्ध होंगी) जिससेकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयॉ अपना परिचालन तत्काल प्रारम्भ कर सकें।
- ''टहलते हुए/पदयात्रा द्वारा कार्यालय जाना (walk to office)'' विचार दृष्टि का समावेश किया जायेगा।
- उत्तर प्रदेश शासन के सू0 प्रौ0 विभाग द्वारा निम्नांकित को ध्यान में रखते हुए सू0प्रौ0 नगरों की स्थापना के सम्बन्ध में विस्तृत आदेशों एवं दिशा–निर्देशों को जारी किया जायेगा।
    - (जिनकी) अन्तर्राष्ट्रीय मानकों वाले सू0प्रौ0 पार्को/सू0प्रौ0नगरों को स्थापित करने की क्षमता हो।
    - (जिनके) सेवा प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाओं (key-service providers) एवं सू0प्रौ0 उद्योगों से दीर्घकालीन सम्बन्ध हों जिससे इन संगठनों को अनुश्रवण कर सू0प्रौ0 नगरों/सू0प्रा0पार्कों/हब्स में अपनी इकाइयॉ स्थापित करने को तैयार हो जायें।
    - (जिनके) वित्तीय संस्थाओं से सुदृढ़ सम्बन्ध हों।
    - (जो) भू–अर्जन एवं उसके विकास की क्षमता रखते हों।

4.4.2 सूचना प्रौद्योगिकी समग्र–निधि (IT Corpus) की स्थापना

- सूचना प्रौद्योगिकी कार्यो में उपयोग हेतु प्रत्येक विभाग अपने प्लान बजट में से कम से कम 2 प्रतिशत अथवा जैसा उ0प्र0 सरकार द्वारा निर्देशित किया जाये, आरक्षित (earmark) करेगा। इस निधि को मिलाकर (pooled)

Confidential

एक पृथक बजट–मद बनाया जायेगा जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित सशक्त समिति (Empowered Committee) की देख रेख में नियंत्रित (guidance & control) किया जायेगा।

- तथापि विभागों को अधिकार होगा कि अपनी आवश्यकतानुसार कुछ धनराशि सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों के अनुरक्षण (maintenance of IT systems) तथा उपभोज्य वस्तुओं (consumables) की आपूर्ति हेतु अपने नियंत्रण में रखे।
- इस संग्रह–निधि (pool fund) से replicable and reusable ई–गवर्नेन्स, प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के नव–प्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी सहायतित संसाधनों की इष्टतम वृद्धि (IT supported resource optimization), एम0एम0पी0(MMPs), निर्णय तंत्र (decision support systems), MIS, इन्ट्रानेट, विभागीय एप्लीकेशन्स एवं अन्य सहायक प्रौद्योगिकियों (enabling technologies) के विकास में किया जायेगा। सॉफ्टवेयर तथा कौशल–विकास (skill development) कार्यों हेतु राज्य स्थित इकाइयों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- ब्रॉण्ड के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान स्थापित करने हेतु भी धनराशि समग्र निधि (IT corpus) में से उपलब्ध कराई जायेगी।

4.4.3 केन्द्रीय डेटा कोष (Central Data Repository)

- सरकार से सम्बन्धित आधार–सामग्री (डेटा) के लिए केन्द्रीय डेटा कोष (Central Data Repository) के रूप में कार्य करने हेतु एक राज्य डाटा केन्द्र (State Data Centre) स्थापित किया गया है। राज्य सरकार के विभाग अपने अपने विभागों में इन्ट्रानेट तथा लोकल एरिया नेटवर्क स्थापित करेंगे जो सामान्य जनता को पूरे सप्ताह और पूरे 24 घण्टे सूचना उपलब्ध कराने (public domain information for 24x7 (24 hours x 7 days) usage) के लिए SDC से जोड़ दिये जायेगे।

4.4.4 ''यूपीस्वान'' (UPSWAN)

- ''यूपीस्वान'' राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी/नेटवर्क अवस्थापना (IT network infrastructure) को बल देने वाली बड़ी परियोजनाओं में से एक है और यह कार्यान्वित भी हो चुकी है। ब्लॉक स्तर तक स्थापित 2 एम.बी.पी.एस बैण्ड की क्षमता वाले, कुल 885 केन्द्रो में से 884 केन्द्र पूर्णतया सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ''यूपीस्वान'' का उपयोग सम्बद्धता (connectivity) एवॅ सेवायें उपलब्ध कराने (development of services) हेतु किया जायेगा। सरकार मोबाइल तथा ई–गवर्नेन्स की पहुॅच अधिक व्यापक बनाने के लिए दूरस्थ क्षेत्रों (remote areas) में नेटवर्क स्थापना हेतु प्रमुख टेलीकॉम एवं वायरलेस संस्थाओं (leading telecom & wireless players) को भी प्रोत्साहित करेगी।

4.4.5 यूसोफ (USOF)

Confidential

- राज्य सरकार यूसोफ (USOF) की धनराशि का उपयोग प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में टेलीकाम अवस्थापना तथा सम्बद्धता (connection) को और सुधारने हेतु करेगी।

4.5 मानव पूँजी का विकास (Human Capital Development)

मानव पूँजी का विकास वह आधारशिला है जो सूचना प्रौद्योगिकी का पूरा लाभ उठाने हेतु उत्तर प्रदेश के नागरिकों में अपेक्षित कौशल विकास, एक सक्षम सू0प्रौ0 जन–शक्ति का अंग होने (being part of a competent IT workforce) तथा एक ज्ञानवान समुदाय (knowledgeable community) का अंग होने के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दो प्रमुख बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया जायेगा : सॉफ्ट स्किल एवँ सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण (IT training) एवं सू0प्रौ0 कौशल विकास तथा उसका प्रमाणीकरण (IT skill development and certificattion)

4.5.1 क्षमता निर्माण (Capacity Building)

- उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों एवं नवाचारी व्यक्तियों (Innovators) का एक डेटा बेस (data base) बनायेगी और सूचना प्रौद्योगिकी हेतु जन–शक्ति की मॉग का पूर्वानुमान (forecast) करेगी।
- राज्य सरकार कौशल कौशल विकास के वर्तमान संस्थानों जैसे आई0टी0आई0 तथा पॉलीटेक्निक को सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुखों (IT majors) के साथ सुविधाओं के विकास और उनके उपयोग हेतु पी0पी0पी0 की तर्ज पर सहयोग करने (collaboration) हेतु प्रोत्साहित करेगी।
- सरकार प्रतिष्ठित (renowned) घरेलू और विदेशी शैक्षिक संस्थानों से सहयोग (collaboration) कर उन्हें उत्तर प्रदेश में अपने कैम्पस स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी जिससे प्रतिभाओं का पूल (talent pool) बनेगा जिससे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आकर्षित होकर प्रतिभाओं को रोजगार देंगे तथा उत्तर प्रदेश एवं आस–पास उत्कृष्टता–केन्द्र (centres of excellence) का विकास करेंगे एवँ कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों (programmes & conventions) के आदान–प्रदान (exchange) द्वारा शिक्षा को विश्वस्तरीय (global standards) बनायेंगे।
- वाह्य स्त्रोतों से सरकारी कर्मचारियों का प्रशिक्षण (outsource the training of Govt servants):– सरकारी सेवाओं हेतु पी0पी0पी0 ढॉचे में सुधार तथा सरकारी कर्मचारियों के ज्ञानार्जन और विकास से इसे अर्जित किया जा सकता है। इस प्रकार समस्त विभागीय जानकारियों के एक ही स्तर पर समाकलन (Integration) में प्रतिस्पर्द्धात्मक अग्रता उत्पन्न होगी (create competitive advantage) और निजी क्षेत्र की सहायता से एक चुस्त दुरुस्त ई–गवर्नेन्स का मॉडल स्थापित हो सकेगा।
- शासन–तंत्र के समस्त परिचालन/प्रबन्धन स्तरों की व्यवस्था में बदलाव (Change management at all Operational/Management levels of Government hierarchy) : परम्परागत (legacy)/हस्तचालित (manual) पद्धति (system) के मुकाबिले नवीन स्वचालित संक्रमण प्रक्रिया (transition process) को स्वीकार्य बनाने के लिए यह विश्वास उत्पन्न करना होगा कि स्वचालित व्यवस्था (automation) से मानवशक्ति/संसाधनों का विस्थापन (replacement) नहीं होगा, वरन इससे उनकी कार्य–प्रगति आसान (smoothen workflow mechanism) होगी।

4.5.2 कौशल का उच्चीकरण एवं प्रमाणीकरण (Skills upgrading & certification)

- **उत्तर प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल उच्चीकरण कार्यक्रमों का आयोजन करेगी** तथा प्रतिष्ठित संस्थाओ की सहायता से प्रमाणित

Confidential

योग्यता वाले सू0प्रौ0 विशेषज्ञों (Certified IT experts) की विक्रेयता (marketability) को प्रोत्साहन देगी

- **NASSCOM संग पंजीकरण (Registration)**: लखनऊ तथा आगरा जैसे द्वितीय और तृतीय सोपान (Tier II & III) के सूचना प्रौद्योगिकी नगरों की प्रशिक्षण एवॅ औद्योगिक आवश्यकताओं का आकलन शैक्षिक एवं कारपोरेट (व्यापार जगत) – दोनों के SME's/विशेषज्ञों (Professionals) के सहयोग से NASSCOM के आकलन–तंत्र (assessment mechanism) की सहायता से कराने हेतु NASSCOM के साथ गठजोड़ (tie-up) करेगी। सरकार कुशल–प्रशिक्षित मानव शक्ति कैप्टिव–केन्द्रों (captive centers for skilled manpower) की स्थापना को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगी। NASSCOM गठबंधन से BPOs/KPOs के लिए गुणवत्तायुक्त मानव शक्ति शीघ्र और न्यूनतम लागत पर उपलब्ध हो सकेगी।
- **कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना** (Establishment of Skill Development Centres):सरकार द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर लखनऊ तथा आगरा में और उनके आस–पास कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जायेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के युवा अपनी क्षमता (capabilities) में वृद्धि कर सूचना प्रौद्योगिकी एवं सम्बन्धित गतिविधियों (ancillary activities) में रोजगार प्राप्त कर सकें। इन केन्द्रों को सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों, सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक संस्थानों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी संघों के साथ मिल कर स्थापित किया जायेगा। बी0पी0ओ0 / के0पी0ओ0 उद्योग में रोजगार हेतु सॉफ्ट–कौशल (Soft skills) एवं/अथवा अंग्रेजी भाषा प्रशिक्षण कार्य (english language training) में प्रमाणित विगत उपलब्धियों वाले संस्थानों (institutions with proven track record) के साथ सहभागिता (partnership) द्वारा विद्यार्थियों के लिए रोजगार अवसरों में वृद्धि हेतु सॉफ्ट–कौशल (Soft skills) एवं Language Labs की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- **सुविज्ञता केन्द्र कार्यक्रम का समावेश** (Introduction of Knowledge Centre Programme) : उद्योगों में कुशल संसाधनों (skilled resources) के सुगम समावेश/संक्रमण (smooth transition) हेतु उत्तर प्रदेश सरकार विश्व की प्रमुख संस्थाओं से गठजोड़ (tie-up) में सहायता करेगी। सरकार एक KCP बोर्ड का गठन करेगी जिसमें भर्ती करने वाले विशेषज्ञ (special recruiters)/ भर्ती करने वाली एजेन्सीज (conglomerate of recruitment agencies)/ सू0प्रौ0 उद्योग हेतु भर्ती करने व्यक्ति व विशेषज्ञ (IT industry recruiters and experts) रहेंगे जो स्नातक/स्नातकोत्तर (विद्यार्थियों) के अन्तिम वर्ष (अन्तिम सेमेस्टर) में उच्चस्तरीय प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों (premium technology courses) में प्रशिक्षण देने हेतु इन्जीनियरी एवं तकनीकी महाविद्यालयों तथा अन्य के साथ गठजोड़ (tie-up) करेंगे एवॅ तदुपरान्त विद्यार्थियों के रोजगार–प्राप्ति में सहायता प्रदान करेंगे (provide assistance for placement)।
- **प्रमाणीकरण हेतु गठजोड़** (Tie-ups for Certifications): राज्य सरकार राजकीय प्राविधिक संस्थानों, इन्जीनियरिंग महाविद्यालयों, पॉलीटेक्निक तथा अग्रणी कम्पनियों जैसेकि ओराकेल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, जावा तथा अन्य प्रसिद्ध ओ.ई.एम. के साथ गठजोड़ (Tie-ups) करेगी ताकि विद्यार्थियों को वृत्तिकी प्रमाणीकरण (professional certification) मिल सके और नौकरी के बाजार में उनकी स्वीकार्यता (market acceptability) और औत्सुक्य (readiness) बढे।

Confidential

4.6 **अंकीय विभेद सेतुबन्ध** (Bridging the Digital Divide) : यह सर्वमान्य है कि समाज के विभिन्न स्तरों तथा विभिन्न स्थानों पर सूचना प्रौद्योगिकी विकास का स्तर अलग अलग है। उत्तर प्रदेश सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में इस अन्तर को पाटने के लिए पहल कर कई कदम उठायेगी।

4.6.1 **सूचना प्रौद्योगिकी एवं शिक्षा क्षेत्र में सहयोग सुगम करना** (Facilitate collaboration between IT and education Centre)

- इसके अन्तर्गत शिक्षकों को शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक (Comprehensive) सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण दिया जायेगा, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विनिमय कार्यक्रम (IT Exchange Programmes) आयोजित किये जायेंगे एवं सूचना प्रौद्योगिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सम्मिलित योजनाओं (Joint collaboration activities) पर काम किया जायेगा।

4.6.2 **शासकीय कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता**(IT Literacy in Government)

- शाासन में शत–प्रतिशत सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता की प्राप्ति हेतु अपने कर्मचारियों को साक्षर बनाने के लिए सरकार एक सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता–वृद्धि कार्यक्रम (IT Literacy enhancement programmes) कार्यान्वित करेगी। सूचना प्रौद्योगिकी साक्षरता का एक न्यूनतम पारिभाषित स्तर (minimum level of defined proficiency) रहेगा, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, ई–मेल, डेटा एन्ट्री, एम.एस. आफिस, एक्सेस आदि का प्रशिक्षण सम्मिलित होगा। सरकारी कर्मचारियों में अपेक्षित स्तर की योग्यता (desired level of proficiency) सुनिश्चित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करने और पुरस्कार से वंचित करने की एक उपयुक्त योजना पर विचार किया जायेगा।

4.6.3 **स्मार्ट कार्ड**

- विभिन्न विभागों द्वारा निजी क्षेत्र के सहयोग से, स्मार्ट कार्ड आधारित नागरिक पहचान–पत्र जारी किये जायेंगे जिनसे नागरिक अनेक कार्य कर सकते हैं जैसे सरकारी सेवाओं सम्बन्धित आदान–प्रदान, (interact with services) धनराशि की अदायगी, राशन कार्ड प्राप्त करना, पासपोर्ट बनवाना, ड्राइविंग लाइसेन्स लेना और गाड़ियों का पॅजीकरण आदि।

4.7 **नीति कार्यान्वयन इकाई** (Policy Implementation Unit)

प्रदेश में यूपीएलसी द्वारा एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) का गठन किया जायेगा जिसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जायेंगे तथा बाहर से लिये गये परामर्शी (Consultants on outsourcing basis) होंगे जो 5 वर्षों की अवधि तक, सूचना प्रौद्योगिकी नीति के कार्यान्वयन हेतु गठित समिति (Empowered Committee) को गतिविधियों के अनुश्रवण एवं उनकी जानकारी देने में सहायता करेंगे।

Confidential

नीति कार्यान्वयन इकाई (पी0आई0यू0) की प्रमुख गतिविधियॉ (Key Activities) होंगीः–

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नीति कार्यान्वयन इकाई के कार्यों की मासिक समीक्षा
- सम्भावित निवेशकों हेतु एस्कॉर्ट सेवायें (Escort Services to potential investors)
- परामर्श
- समस्त सूचना प्रौद्योगिकी निवेश प्रस्तावों हेतु एकल सम्पर्क स्त्रोत (Single Point of Contact)
- सूचना प्रौद्योगिकी नीति का विपणन (marketing)
- शासकीय प्राधिकारियों से समन्वयन (Liaison)
- एकल खिड़की निस्तारण (Single Window Clearance) व्यवस्था का कार्यान्वयन
- नीति कार्यान्वयन योजना में सहायता
- उद्योगों तथा उद्योग–संघों से सम्बद्धता (Engagement with Industries and Industry Associations)
- सशक्त समिति (Empowered Committee) के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग प्रणाली का विकास
- यथा–आवश्यकता, कार्यों की आउटसोर्सिंग/प्रतिनियुक्ति पर निर्णय

Confidential

5. प्रोत्साहन (Incentives)

उत्तर प्रदेश के प्रथम एवॅ द्वितीय सोपान के नगरों में सू0प्रौ0/सू0प्रौ0 जनित नई इकाइयों को 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाली अवधि हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य हैं :

5.1 वित्तीय प्रोत्साहन (Fiscal Incentives)

5.1.1 ब्याज उपादान (Interest Subsidy)

सावधि ऋण (Term loan) तथा कार्यशील पूॅजी (working capital) पर लघु, मध्यम और बड़ी कम्पनियों को व्यवसायिक कार्यकलाप (commercial operations) प्रारम्भ होने अर्थात प्रथम व्यवसायिक लेन–देन (transaction) की तिथि से 5 वर्षों तक निम्नलिखित आधार पर ब्याज उपादान प्रदान किया जायेगाः–

- बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर अदा किये गये ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष हेतु की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू 1.00 करोड़ होगी।
- निवेशक इकाई द्वारा जिस राष्ट्रीयकृत बैंक एवॅ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया गया होगा, ब्याज उपादान का भुगतान सीधे उस संस्थान को किया जायेगा।

5.1.2 स्टाम्प शुल्क (Stamp Duty)

- सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयों के उपयोगार्थ यदि कोई भूमि/कार्यालय के लिए जगह/इमारत खरीदी या पट्टे पर ली जाये तो महानिरीक्षक स्टाम्प एवॅ निबन्धन के पक्ष में 3 वर्ष के लिए वैध बैंक गारण्टी के विरुद्ध, स्टाम्प शुल्क फीस में इस प्रतिबन्ध सहित शत प्रतिशत छूट प्राप्त होगी कि लखनऊ एवॅ आगरा जैसे द्वितीय तथा तृतीय सोपान (Tier II & III) के नगरों में 3 वर्षो के भीतर परिचालन प्रारम्भ हो जाये।

5.1.3 वैट (वाणिज्य कर)

- ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित नई इकाइयॉ जिनमें पूॅजी निवेश रू 5 करोड़ या अधिक हो, व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 10 वर्ष तक, प्रतिवर्ष जमा किये गये वैट व केन्द्रीय बिक्री कर के योग के समतुल्य अथवा वार्षिक विक्रय धन की 10 प्रतिशत धनराशि जो भी कम हो, ब्याज मुक्त ऋण के रूप में अनुमन्य होगी, जिसका भुगतान ऋण वितरण की तिथि से 07 वर्ष बाद देय होगा।

5.2 अन्य प्रोत्साहन (Other Incentives)

5.2.1 भूमि हेतु प्राविधान

- सोपान दो और तीन के नगरों (Tier II & Tier III cities) में सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं/वृहद् औद्योगिक (Mega) परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी अभिकरणों (State agencies) से क्रय की जाने वाली भूमि पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25 प्रतिशत की छूट (Rebate) दी जायेगी। सम्बन्धित सरकारी अभिकरणों द्वारा इस छूट (Rebate) की व्यवस्था अन्य सम्पत्तियों पर क्रास सब्सिडाजेशन (Cross Subsidization) से की जायेगी।
- अतिरिक्त फ्लोर एरिया सूचक (Additional FSI - Floor Space Index) : सूचना प्रौद्योगिकी नगरों, प्रौद्योगिकी पार्को, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित, पॅजीकृत सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सोपान दो और तीन के शहरों में कार्यालय/आवासीय प्रयोजन के लिए अनुमन्य FSI के समतुल्य 100 प्रतिशत का अतिरिक्त FSI अनुमन्य

Confidential

- भूमि के मूल्य में छूट तथा अतिरिक्त फ्लोर एरिया प्रोत्साहन इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनियों तथा सू0प्रो0/सू0प्रो0 समर्थित – दोनों प्रकार की इकाइयों को सरकारी अभिकरणों द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु आईटी सिटी/आईटी पार्क के चिन्हॉकन के उपरान्त अनुमन्य होंगे।
- ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी/बी0पी0ओ0 इकाइयॉ जिनमें कम से कम 20 तथा अधिकतम 50 व्यक्ति काम करते हों, मास्टर प्लान अथवा भूमि–उपयोग वर्गीकरण (Land Use classification) के बावजूद, विशेष भू–उपयोग को छोडकर, कहीं भी स्थापित की जा सकेंगी।

5.2.2 एकल खिड़की निस्तारण सहायता (Single Window Clearance & Facilitation)

- उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में एक सरकारी निकाय (Government body) – नीति कार्यान्वयन इकाई (Policy Implementation Unit) का गठन किया जायेगा जो उद्यमियों (entrepreneurs) तथा सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को सांविधिक (statutory) मामलों के निस्तारण जैसे प्रदूषण नियंत्रण, फैक्ट्री एक्ट, दुकान तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान कानून, मजदूरी भुगतान कानून, न्यूनतम मजदूरी कानून, संविदा श्रम कानून, विद्युत आबंटन इत्यादि में सक्रिय एवं प्रभावी सहायता प्रदान करेगी। निकाय को प्रशासनिक एवं जनशक्ति सहायता यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रदान की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई समयबद्ध रूप से अन्य अवरोधों के निवारण (clearing roadblock) में भी उत्तरदायी होगा। यदि समय–सीमा के भीतर समस्या का समाधान नहीं हो पाता है तो मामला स्वतः (automatically esclate) प्रमुख सचिव/ सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और उसके पश्चात (एक निश्चित अन्तराल के बाद) सशक्त समिति के संज्ञान में आ जायेगा। स्वीकृतियों की आवधिक समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर पर की जायेगी।

5.2.3 औद्योगिक विकास उपादन (Industrial Promotion Subsidy)

- यदि द्वितीय एवं तृतीय सोपान के नगरों में तीन वर्षों की अवधि के भीतर वर्तमान इकाइयों द्वारा 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षमता विस्तार (capacity enhancement) हेतु अतिरिक्त पूँजी निवेश किया जाता है तो उन्हें नई इकाइयों को अनुमन्य प्रोत्साहनों (सरकारी अभिकरणों से भूमि क्रय पर मिली छूट को छोड़कर) के 50 प्रतिशत के बराबर औद्योगिक विकास प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे। वर्तमान इकाइयों द्वारा क्षमता विस्तार से पूर्व अपनी इकाई के वर्तमान **Status** सम्बन्ध में समस्त वांछित विवरण उपलब्ध कराते हुए आगामी विस्तार हेतु वांछित सावधि ऋण, कार्यशील पूँजी के बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से टाई–अप करने इत्यादि का विवरण सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया हो।

5.2.4 निर्बाध बिजली आपूर्ति (Uninterrupted Power Supply)

- सूचना प्रौद्योगिकी नगरों/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्वतन्त्र फीडर द्वारा पोषित सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों को राज्य द्वारा निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जायेगी। फीडर एवं पृथक ट्रॉसमिशन लाइन पर होने वाला व्यय डेवलपर द्वारा वहन किया जायेगा।

5.2.5 संचित विद्युत उत्पादन हेतु प्लान्ट और मशीनें (Plant & Machinery for Captive Power Generation)

- न्यूनतम 03 मेगावाट क्षमता वाले ऐसे संचित विद्युत उत्पादन प्लान्ट जिनके द्वारा मात्र सूचना प्रौद्योगिकी नगर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/ मेगा विनिवेश इकाई जोन में विद्युत वितरण किया जाता है तो इस प्रकार के संचित विद्युत उत्पादन प्लान्ट लगाने के इच्छुक सूचना प्रौद्योगिकी नगर/सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/मेगा विनिवेश इकाइयों को सूचना प्रौद्योगिकी इकाई मानते हुए अध्याय–5 में उल्लिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

Confidential

5.2.6 रोजगार सृजन

- ऐसे उद्योग जिनमें तीन वर्षों तक कम से कम 50 प्रतिशत स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिला हो और कम से कम 100 कर्मचारी कार्यरत हों, उनके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना पर हुए व्यय की 75 प्रतिशत धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप पॉच वर्श के लिये वहन की जायेगी जो स्थिर पूॅजी निवेश का अधिकतम 25 प्रतिशत होगा।

5.2.7 प्रकरण आधारित प्रोत्साहन (Incentives on Case to Case basis)

- जिन सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं/मेगा यूनिट परियोजनाओं में 200 करोड़ रू से अधिक का निवेश प्रस्तावित हो, उन्हें उपरोक्त प्रोत्साहनों के अतिरिक्त सशक्त समिति द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति से विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

- उत्तर प्रदेश में कौशल विकास (skill development), नवप्रयोगों (Innovation), अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा संसाधन पूल की रोजगारपरक क्षमता (employability of the resourse pool) को लेकर रू 100 करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजनाओं को सशक्त समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों के अतिरिक्त राज्य सरकार की स्वीकृति से विशेष प्रोत्साहन प्रदान किये जा सकते हैं।

5.2.8 24 x 7 परिचालन

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे – (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी तीन पालियों मे महिलाओं को कार्य करने की अनुमति।

6 विपणन एवॅ ब्रॉण्डिंग रणनीति (Marketing & Branding Strategy)

- विभाग, राज्य सू0प्रौ0 विभाग और उसकी नीतियों एवं पहल की ब्राण्ड छवि (Brand Image) उत्पन्न करने के लिए एक ब्रॉण्ड उन्नयन रणनीति (Brand Promotion Strategy) बनायेगा।
- निवेशकों, व्यावसायिक घरानों, संस्थानों एवं संगठनों के बीच नीति के प्रमुख बिन्दुओं को प्रचारित करने के लिए NASSCOM, CII, FICCI आदि के साथ विभिन्न राज्यों में संगोष्ठी, सम्मेलन, रोड–शो एवॅ अन्य आयोजन किये जायेंगे।
- विभाग द्वारा विकासात्मक कार्यकलापों एवॅ रोड–शो में प्रतिभागिता हेतु पर्यटन विभाग से गठ–जोड़ (Tie-up) किया जायेगा।

Confidential

- विभाग द्वारा अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश की नीतियों तथा उसकी स्थिति के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने के लिए प्रिंट, टेलीविजन तथा सामाजिक मीडिया का उपयोग किया जायेगा।
- विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश तथा उसकी सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति के ब्रॉण्ड निर्माण हेतु प्रोफेशनल विज्ञापन एजेन्सी अथवा जन–सम्पर्क एजेन्सी की सेवायें प्राप्त की जायेंगी।
- सूचना प्रौद्योगिकी कम्पनियों के साथ स्वर्णिम/रजत सहयोगियों (Gold/Silver Partners) के रूप में पैनल डिस्कशन (Panel Discussions)

7 संलग्नक (Annexures)

7.1 सशक्त समिति (Empowered Committee)

- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तर की एक सशक्त समिति सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की प्रगति पर निगाह रखेगी और सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अनुपालन का अनुश्रवण करेगी। इस समिति में अन्य सहित कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवँ औद्योगिक विकास आयुक्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, नियोजन, लघु–उद्योग, वाणिज्य कर, ऊर्जा, परिवहन, राजस्व एवं आवास एवं नगर विकास विभागों के प्रमुख सचिव सदस्य होंगे।

- **सशक्त समिति का अधिकार–पत्र** (Charter) होगा :–

  - अनुश्रवण एवँ सुनिश्चित करना कि सम्बन्धित आदेशों/अधिसूचनाओं तथा संशोधनों को स–समय जारी कर दिया जाये।
  - नीति के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी नगर/ सूचना प्रौद्योगिकी पार्क/ मेगा निवेश इकाइयों की स्थापना की स्वीकृति
  - विभागों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं (Projects), उनके प्रारूप (framework)/ कार्यान्वयन–विधि (modalities of implementation) तथा सेन्ट्रल पूल (central pool) से धनराशि उपलब्धता की स्वीकृति
  - इस नीति से सम्बन्धित मामलों में अन्तर्विभागीय सामन्जस्य (Inter Departmental coordination) स्थापित करना
  - प्रमुख संकेतकों (Key Indicators) पर ऑकड़ों के आधार पर सू0प्रौ0 नीति के क्रियान्वयन का प्रभावी मूल्यॉकन (evaluation) तथा सभी स्तरों पर क्रियान्वयन (implementation) से सम्बन्धित बिन्दुओं का समाधान (resolve)

Confidential

8. शब्दावली (Glossary)

1. ''**सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग**'' के अन्तर्गत सम्मिलित हैं सूचना प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी जनित इकाइयॉ/ कम्पनियॉ इत्यादि। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी इकाइयों/कम्पनियों में सम्मिलित है सू0प्रौ0 एप्लीशेन्स (IT applications), सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं से आशय है बी0पी0ओ0/के0पी0ओ0/ परामर्श/'एनीमेशन (animation)', 'गेमिंग (gaming)' तथा ज्ञान–आधारित उद्योग (knowledge industry based) जैसे नैनो टेक्नोलॉजी (Nano Technologies), टेलीकम्युनिकेशन्स (टेली –सम्प्रेषण) आदि।

2. **सॉफ्टवेयर सेवाओं में निहित है** :–

   - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software)
   - प्रचालन विधि – Operating System
   - 'मिडिलवेयर' / फर्मवेयर (Middleware/ Firmware)
   - उक्त सॉफ्टवेयर में किसी भी अवयव (component) का विकास
   - इन सॉफ्टवेयर की डिजाइन एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना
   - प्रणाली का एकीकरण (System Integration)/सॉफ्टवेयर हेतु अवयव (component)
   - सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीय (Localization) एवॅ SCM कार्य
   - विस्तार विकास (Extension Development) (मुख्य सॉफ्टवेयर के बाहर के मॉड्यूल्स)

3. **'सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें'** – इनका आशय उन सेवाओं से है जो सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद के रूप में मिलती हैं और उपयोगिता की दृष्टि से अत्यन्त मूल्यवान हो जाती हैं।

   सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में निहित हैः–

   - एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
   - इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
   - ई–मेल सर्विस प्रोवाइडर
   - विश्वव्यापी वेब (World wide web) सर्विस प्रोवाइडर
   - ई–कामर्स तथा कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
   - इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरफेस (EDI) सेवायें
   - वीडियो कान्फ्रेंसिंग
   - वी–सैट – आई.एस.डी.एन सेवायें
   - इलेक्ट्रानिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

4. **सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं** में वे सभी प्रक्रियायें एवं सेवायें सन्निहित हैं जो व्यापक व्यापारिक वर्ग को, टेलीकाम संचार तंत्र अथवा इन्टरनेट के माध्यम से प्राप्त होती हैं जैसे मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डेटा बेस प्रोसेसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स, बैक–आफिस आपरेशन्स – लेखा

Confidential

एवं वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रानिक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श, बॉयो इन्फार्मैटिक्स, डेटा प्रोसेसिंग तथा काल–सेन्टर आदि।

सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में सन्निहित किन्तु यहीं तक सीमित नहीं:–

- ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सम्बन्धित सेवायें (Customer Interaction Services) जैसे वार्तालाप / सम्पर्क केन्द्र (Call/Contact Centres) तथा ई–मेल, हेल्प–डेस्क
- इन्जीनियरिंग एवं डिजाइन
- बैक आफिस प्रोसेसिंग
- वित्त एवं लेखा (रिमोट माध्यम से प्रदत्त सेवायें)
- बीमा दावों को निपटाने की प्रक्रिया – इंश्योरेन्स क्लेम प्रोसेसिंग (रिमोट मेथड द्वारा)
- मानव संसाधन सेवायें (रिमोट द्वारा)
- वेबसाइट विकास एवं अनुरक्षण सेवायें (Website development & maintenance services)
- डेटा सर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस (Data Search, Integration & Analysis) तथा नेटवर्क परामर्श एवं प्रबन्धन (Network consulting and Managment)
- दूरस्थ शिक्षा (Remote Education)
- एनीमेशन – (रिमोट द्वारा)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (रिमोट द्वारा)
- अनुवाद (Translation) , नकलनवीसी (Transcription) तथा स्थानीयकरण (Localization) (रिमोट द्वारा)
- परामर्श (रिमोट द्वारा) सम्बन्धित विषय:–
  - सूचना प्रौद्योगिकी सेक्टर
  - ई0आर0पी0 (Enterprise Resource Planning) जैसे SAP, ORACLE इत्यादि
  - सी0आर0एम0 – ग्राहक सम्पर्क प्रबन्धन (Customer Relationship Management)
  - एम0आर0एम0 – (Marekting Resources Management)
  - तकनीकी सहायता (Technical Support)
  - बिजनेस सिस्टम्स एण्ड प्रोसेसेज (Business Systems & Processes)
- डेटा प्रोसेसिंग
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग एवं डिजाइनिंग सिस्टम्स
- काल सेन्टर्स
  - वायस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
  - डेटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड – दोनों
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (रिमोट व्यवस्था सहित)

5. वर्गीकरण (Classification)**:–**

सोपान –1 (Tier I) : नॉयडा, ग्रेटर नॉयडा
सोपान –2, 3 (Tier II & III): यथा लखनऊ, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, वाराणसी, बरेली इत्यादि तथा 20 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य नगर
सोपान –3 (Tier III) : 20 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर

Confidential

मेगा परियोजनायें (Mega Projects) : रू 200 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश वाली परियोजनाओं को मेगा प्रोजेक्ट का दर्जा दिया जायेगा।

6. सर्वोच्च प्राथमिकता के क्षेत्र (Thrust Areas) :—

- सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा (IT based education), तकनीक, प्रणाली एवं अनुप्रयोग (Technology Systems and applications)
- स्थिर वायरलेस तथा उभरती गतिशील प्रौद्योगिकी की तकनीक (Emerging mobile and fixed Wireless technologies)
- रिमोट सेन्सिंग तथा जी0आई0एस0 (GIS) आधारित Decision Support System
- स्मार्ट कार्ड, RFID आधारित प्रणालियॉं (Systems)
- केन्द्रीकरण बहुल मीडिया हेतु विभिन्न तकनीकें एवं प्रौद्योगिकी (Convergance and Multimedia technologies)

7. सरकारी अभिकरण (State Agencies)

- विकास प्राधिकरण (Development Agencies)
- आवास परिषद (Housing Boards)
- लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण - LIDA (Lucknow Industrial Development Authority)
- उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम (UPSIDC)
- सरकार द्वारा अधिसूचित (notified) राज्य के अन्य अभिकरण

(जीवेश नन्दन)
प्रमुख सचिव
सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग
उ0प्र0 शासन

Confidential

ध्यानकर्षण:
यह IT Vision @2012 के अंग्रेजी संस्करण का अनन्तिम हिन्दी रुपान्तरण है। अतएव विषय–वस्तु सम्बन्धी किसी विसंगति/संशय की स्थिति मे अंग्रेजी संस्करण में निहित विषय–वस्तु ही मान्य होगी।